अपील रसद सं0 12/2016 टेकवाणी ऑटो मोबाईल्स, उचित मूल्य दुकानदार वार्ड न0 13बी पुरानी आबादी श्रीगंगानगर मालिक दिनेश टेकवाणी पुत्र श्री लोकचंद बनाम 1–जिला रसद अधकारी श्रीगंगानगर 2–राज0 राज्य जरिये प्राधिकारी

Web Copy - Not Official

25–09–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी टेकवाणी ऑटो मोबाईल्स के अभिभाषक श्री वेदप्रकाश गर्ग उपस्थित है। विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र शामिल पत्रावली किया गया। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है:–

यह अपील अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 21.11.2016 के विरूद्ध पेश की गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थी टेकवाणी ऑटो मोबाईल्य उचित मूल्य दुकानदार वार्ड न0 9बी श्रीगंगानगर द्वारा उपभोक्ताओं को राशन न वितरण करने के कारण उसका अधिकार पत्र आगामी आदेश तक निलम्बित किया गया है।

विभागीय प्रतिनिध का कथन था कि अपीलार्थी टेकवाणी ऑटो मोबाईल्स उचित मूल्य दुकानदार वार्ड न0 13बी का है। जिसे दिनांक 04.11.16 के आदेश से वार्ड न0 13बी के स्थान पर वार्ड न0 9बी में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया किन्तु उसके द्वारा उक्त स्थान पर संबंधित उपभोक्ताओं को राशन वितरण संबंधी कार्य न करने के कारण उसका उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र आगामी आदेश तक निलम्बित किया जाकर वार्ड न0 9बी का राशन वितरण संबंधी कार्य अस्थाई रूप से सुल्तान ऑयल स्टोर वार्ड न0 9ए श्रीगंगानगर को अधिकृत किया गया था इसलिए अपीलार्थी को वार्ड न0 9बी का राशन वितरण संबंधी कार्य करना चाहिए था जो प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार न किये जाने के कारण उसका उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र सही रूप से निलम्बित किया गया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

इसके विपरीत अपीलार्थी के अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी के पास वार्ड न0 13बी के उचित मूल्य की दुकान का कार्य है और जिला रसद अधिकारी द्वारा उसकी उचित मूल्य की दुकान वार्ड न0 13बी के स्थान पर वार्ड न0 9बी में स्थानान्तरित कर दी। जिसके लिए जिला रसद अधिकारी को कोई अधिकारिता नही है। उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी ने दिनांक 17.11.16 को प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की थी कि उसकी दुकान वार्ड न0 13बी में ही रखी जावे। किन्तु उस पर कोई विचार नही किया गया और न ही उसे कोई राशन आवंटित किया गया है और उसे बिना सुने उसका प्राधिकार पत्र आगामी आदेश तक निलम्बित कर दिया गया है। इसलिए उक्त आदेश क्षेत्राधिकार विहिन होने के कारण निरस्त किया जावे और अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र वार्ड न0 13बी में कार्य करने के लिए बहाल किया जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं जिला रसद अधिकारी के आदेश दिनांक 21.11.2016 का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी टेकवाणी ऑटो मोबाईलस वार्ड न0 13बी का उचित मूल्य दुकानदार है किन्तु जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा आदेश दिनांक 04.11.2016 से निम्न आदेश पारित किया हैः–

श्रीगंगानगर नगरीय क्षेत्र में पूर्व में 45 वार्डो के अनुसार कार्यरत उचित मूल्य दुकानदारों का वर्तमान में प्रचलित 50 वार्डो के अनुसार नया कार्यक्षेत्र निर्धारण करते हुए निम्नानुसार कार्यक्षेत्र आवंटित किया जाता है। संबंधित उचित मूल्य दुकानदार नवीन आवंटित वार्ड में कार्यस्थल/गोदाम स्थापित कर अपने प्राधिकार पत्र में नया वार्ड एवं कार्यस्थल अंकित करवाकर संबंधित वार्ड व यूनिट रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करेंगें:–

क0सं0	डीलर का नाम	वर्तमान स्थिति	पुराना वार्ड	नया वार्ड सं0
21	टेकवाणी ऑटो मोबाईल्स	कार्यरत	13 बी	9 बी

उक्त आदेशानुसार अपीलार्थी जो कि उचित मूल्य दुकानदार है को उचित मूल्य दुकान के राशन वितरण का कार्य वार्ड न0 13बी के स्थान पर वार्ड न0 9बी के लिए अधिकृत किया गया है। प्रवर्तन अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 21.11.16 जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को प्रस्तुत कर प्रार्थना की कि नगरपरिषद क्षेत्र में निम्न उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा राशन वितरण नही किया जा रहा हैः–

1– आसनदास छगनलाल वार्ड न0 21ए श्रीगंगानगर
2– लक्ष्मण ऑयल स्टोर वार्ड न0 23बी श्रीगंगानगर
3– टेकवाणी ऑटो मोबाईल्स वार्ड न0 9बी श्रीगंगानगर

इनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था में कमवार निम्न उचित मूल्य दुकानदारों को लगाया जाना प्रस्तावित हैः–

1– लोक कल्याण स.उ. भण्डार वार्ड न0 29ए श्रीगंगानगर
2– शकुन्तलादेवी–मोहनलाल वार्ड न0 23ए श्रीगंगानगर
3– सुल्तान ऑयल स्टोर वार्ड न0 9ए श्रीगंगानगर

प्रवर्तन अधिकारी के उक्त प्रतिवेदन पर जिला रसद अधिकारी ने उक्त उचित मूल्य दुकानदार द्वारा वार्ड न0 9बी की उचित मूल्य दुकान का कार्य न करने के कारण उसका अनुज्ञापत्र 21.11.16 को निलम्बित कर दिया गया और दिनांक 21.11.16 को अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और दिनांक 16.02.2017 को पुनः अपीलार्थी को उसका अनुज्ञापत्र निरस्त करने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है।

चूंकि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार है और उसको जिस क्षेत्र के लिए उचित मूल्य की दुकान आवंटित है उसे उस क्षेत्र के लिए पर्याप्त राशन को संबंधित उपभोक्ताओं को वितरण करना आवश्यक है। अपीलार्थी को जिला रसद अधिकारी द्वारा वार्ड न0 9–बी श्रीगंगानगर क्षेत्र के लिए उचित

सा0/-
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मूल्य की दुकान का कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया था इसलिए उसे वार्ड न0 9बी में राशन वितरण संबंधी कार्य करना चाहिए था जो प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार कार्य न करने के कारण प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर निलम्बित किया गया है जो उचित है और जिसके लिए वे सक्षम है।

दौराने बहस निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपीलार्थी से यह पूछा गया कि क्या वह नये आवंटित कार्य स्थल वार्ड न0 9बी श्रीगंगानगर में कार्य करने के लिए अब भी तैयार है या नही? तो इस पर अपीलार्थी ने प्रार्थना की कि यदि उसे नये कार्य स्थल वार्ड न0 9बी श्रीगंगानगर में उसे अब कार्य करने की अनुमति दी जाती है तो वह कार्य करने को तैयार है।

चूंकि पूर्व में अपीलार्थी द्वारा नये कार्य स्थल वार्ड न0 9बी श्रीगंगानगर में कार्य न करने के कारण उसका प्राधिकार पत्र दिनांक 21.11.16 को निलम्बित किया गया था और अब चूंकि अपीलार्थी ने नये कार्य स्थल वार्ड न0 9बी श्रीगंगानगर की उचित मूल्य की दुकान पर कार्य करने की इच्छा जाहिर की है जिस पर विचार करना उचित होगा। इसलिए अपीलार्थी की अपील नये सिरे से विचार करने के लिए रिमाण्ड करनी उचित होगी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और प्रकरण जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि इस मामले में पुनः पूर्ण रूप से जांच कर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर वार्ड न0 9बी श्रीगंगानगर पर उचित मूल्य की दुकान का कार्य करने के संबंध में विचार किया जाकर उचित निर्णय पारित करें। अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र तब तक यथावत निलम्बित रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड आदेश की प्रति सहित पालनार्थ लौटाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

18/7
11-10-17

यह आदेश आज दिनांक 25–09–2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर